

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5011] No. 5011] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6250(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006, के द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही भारत के किसी भी भाग में परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के अपेक्षित निर्माण का कार्य अथवा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध की गई मौजूदा परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के विस्तारण अथवा आधुनिकीकरण का कार्य, जिसमें प्रकिया अथवा प्रौद्योगिकी अथवा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता संवर्धन आवश्यक है, को केन्द्रीय सरकार से अथवा यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से गठित किए गए राज्य स्तर के पर्यावरण समाघात मूल्यांकन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 3 के उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए; का.आ.3018 (अ), को 21 जून, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया था,

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 3 के उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी उक्त अधिसूचना में

7480 GI/2018 (1)

संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए; का.आ.5213 (अ), को 08 अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया था,

और उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 7 (ज) और तत्संबंधी प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

परियोजना अथवा क्रियाकलाप		शुरुआती सीमा सहित श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''7 (ज)	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	-	सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी टिप्पण: परियोजनाओं के भीतर अथवा ऐसे क्रियाकलापों,जिनके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, और पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा किए जाने वाले किसी उत्पाद को प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए अथवा उक्त सीईटीपी उत्पादन की इकाई के विद्यमान या प्रस्तावित सदस्य में से किसी को पर्यावरणीय अनापत्ति करने की आवश्यकता होगी।

[फा.सं. 22-28/2018-आईए-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

िटप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्तपश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था:-

- 1. का.आ.1949 (अ), तारीख़ 13 नवम्बर, 2006;
- 2. का.आ.1737 (अ), तारीख़ 11 अक्तूबर, 2007
- 3. का.आ. 3067 (अ), तारीख़ 01 दिसम्बर, 2009;
- 4. का.आ. 695 (अ), तारीख़ 04 अप्रैल, 2011;
- 5. का.आ. 156 (अ), तारीख़ 25 जनवरी, 2012;

- 6. का.आ. 2896 (अ), तारीख़ 13 दिसम्बर, 2012;
- 7. का.आ. 674 (अ), तारीख़ 13 मार्च, 2013;
- 8. का.आ. 2204 (अ), तारीख़ 19 जुलाई, 2013;
- 9. का.आ. 2555 (अ), तारीख़ 21 अगस्त, 2013;
- 10. का.आ. 2559 (अ), तारीख़ 22 अगस्त, 2013;
- 11. का.आ. 2731 (अ), तारीख़ 09 सितम्बर, 2013;
- 12. का.आ. 562 (अ), तारीख़ 26 फरवरी, 2014;
- 13. का.आ. 637 (अ), तारीख़ 28 फरवरी, 2014;
- 14. का.आ. 1599 (अ), तारीख़ 25 जुन, 2014;
- 15. का.आ. 2601 (अ), तारीख़ 07 अक्तूबर, 2014;
- 16. का.आ. 2600 (अ), तारीख़ 09 अक्तूबर, 2014;
- 17. का.आ. 3252 (अ), तारीख़ 22 दिसम्बर, 2014;
- 18. का.आ. 382 (अ), तारीख़ 03 फरवरी, 2015;
- 19. का.आ. 811 (अ), तारीख़ 23 मार्च, 2015;
- 20. का.आ. 996 (अ), तारीख़ 10 अप्रैल, 2015;
- 21. का.आ. 1142 (अ), तारीख़ 17 अप्रैल, 2015;
- 22. का.आ. 1141 (अ), तारीख़ 29 अप्रैल, 2015;
- 23. का.आ. 1834 (अ), तारीख़ 06 जुलाई, 2015;
- 24. का.आ. 2571 (अ), तारीख़ 31 अगस्त, 2015;
- 25. का.आ. 2572 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2015;
- 26. का.आ. 141 (अ), तारीख़ 15 जनवरी, 2016;
- 27. का.आ. 648 (अ), तारीख़ 03 मार्च, 2016;
- 28. का.आ. 2269 (अ), तारीख़ 01 जुलाई, 2016;
- 29. का.आ. 2944 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2016
- 30. का.आ. 3518 (अ), तारीख़ 23 नवम्बर, 2016;
- 31. का.आ. 3999 (अ), तारीख़ 09 दिसम्बर, 2016;
- 32. का.आ. 4241 (अ), तारीख़ 30 दिसम्बर, 2016;
- 33. का.आ. 3611 (अ), तारीख़ 25 जुलाई, 2018;
- 34. का.आ. 3977 (अ), तारीख़ 14 अगस्त, 2018
- 35. का.आ. 5733 (अ), तारीख़ 14 नवम्बर, 2018;
- 36. का.आ. 5736 (अ), तारीख़ 15 नवम्बर, 2018 और
- 37. का.आ. 5845 (अ), तारीख़ 26 नवम्बर, 2018.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2018

S.O. 6250(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, issued under sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, hereinafter referred to as the said notification, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, a draft notification for making amendments in the said notification, issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published vide S.O. 3018 (E), dated the 21st June, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of thirty days from the date of publication of the draft notification in the Gazette of India;

And whereas, a draft notification to extend the notice period was issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published vide S.O. 5213(E), dated the 8th October, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of another thirty days from the date of publication of the draft notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification which shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for item 7(h) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: -

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	В	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(h)	Common Effluent Treatment Plants	-	All projects	General Condition shall apply
	(CETPs)			Note: Environmental clearance for CETPs setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance are exempted, and if any of the existing or proposed member units of the said CETP produces or proposes to produce any product requiring environmental clearance, then the CETP shall need environmental clearance."

[F.No. 22-28/2018-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:

- 1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
- 2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;

- 3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
- 4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
- 5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
- 6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
- 7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
- 8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
- 9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
- 10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
- 11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
- 12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
- 13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
- 14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
- 15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
- 16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
- 17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
- 18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
- 19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
- 20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
- 21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
- 22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
- 23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
- 24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
- 25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
- 26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
- 27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
- 28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
- 29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
- 30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
- 31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
- 32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
- 33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.
- 34. S.O. 3977 (E) dated the 14thAugust, 2018
- 35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
- 36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018 and
- 37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018.